Gen. No. 1

विविध बैंक प्रकरण सं0 54/2018 (RCMS 2018/00107) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज, चक 60 एलएनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर – प्रो. 1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सूरज मल अग्रवाल 2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री इन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नं 17 जैतसर तहसील श्री विजयनगर 3. श्री सुशील कुमार खेतान पुत्र श्री नन्द लाल खेतान निवासी वार्ड नं 12, नजदीक झूलेलाल मंदिर, जैतसर तहसील श्री विजयनगर 4. श्री हरीओम गुप्ता पुत्र श्री लाल चन्द गुप्ता निवासी वार्ड नं. 4, रिडमलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर एवं गारंटर 1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सूरज मल अग्रवाल 2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री इन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नं 17 जैतसर तहसील श्री विजयनगर 3. श्री सुशील कुमार खेतान पुत्र श्री नन्द लाल खेतान निवासी वार्ड नं 12, नजदीक झूलेलाल मंदिर, जैतसर तहसील श्री विजयनगर 4. श्री हरीओम गुप्ता पुत्र श्री लाल चन्द गुप्ता निवासी वार्ड नं. 4, रिडमलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर 5. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि श्री अशोक कुमार अग्रवाल 6. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री इन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड न 17 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर 7. श्रीमति ललिता देवी पत्नि श्री महावीर प्रसाद निवासी प्लॉट नं एसपी 2–4 इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, रीको, नई मंडी घडसाना तहसील घडसाना 8. श्रीमति शारदा देवी पत्नि श्री पवन कुमार निवासी वार्ड नं 11 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर 9. मैसर्स संजय कुमार राज कुमार –प्रो सजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री इन्द्र कुमार अग्रवाल स्थित दुकान नं 17, धान मंडी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर 10. मैसर्स सुशील कुमार पुत्र श्री नन्दलाल खेतान स्थित धान मंडी जैतसर तहसील श्री विजयनगर 11. मैसर्स संजय इंडस्ट्रीज (पार्टनरशीप फर्म) स्थित प्लॉट नं एसपी–2–4 इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, रीको, नई मण्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, **चक 60 एलएनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर** प्रो. 1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल 2. श्री संजय कुमार 3. श्री सुशील कुमार खेतान 4. श्री हरीओम गुप्ता को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 5,66,91,000/—रूपये (अखरे रूपये पांच करोड छयासठ लाख इक्यानवे हजार मात्र) दिनांक 04.12.2015 को स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गारंटर की सम्पत्ति 1. **फेक्ट्री स्थित किल्ला नं. 6 से 14, मुरब्बा नम्बर 60 चक 60 एलएनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर (22250 वर्गमीटर) 2. किल्ला नं. 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 मुरब्बा नं. 17 खसरा नं. 125/384, चक 7 जीबी(ए) (नजदीक राधा स्वामी डेरा और 05 की पुली) तहसील श्री विजयनगर (16450 वर्गमीटर)** 3. **प्लॉट नं एसपी 2—4, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस—1, रीको, नई मंडी घडसाना, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 17138 वर्गमीटर) 4. दुकान नं. 71 बी ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्री विजयनगर (1800 वर्गफुट) 5. दुकान नं. 17 ए ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर (क्षेत्रफल 2750 वर्गफुट) में स्थित है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 04.01.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणीयों के नाम दिनांक 04.01.2018 को 5,37,37,738/— रूपये (अखरे रूपये पांच करोड़ सैंतिस लाख सैंतिस हजार सात सौ अड़तीस मात्र) ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.01.2018 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति **1. फेक्ट्री स्थित किल्ला नं. 6 से 14, मुरब्बा नम्बर 60 चक 60 एलऐनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर (22250 वर्गमीटर) 2. किल्ला नं. 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 मुरब्बा नं. 17 खसरा नं. 125 / 384, चक 7 जीबी(ए) (नजदीक राधा स्वामी डेरा और 05 की पुली) तहसील श्री विजयनगर (16450 वर्गमीटर) 3. प्लॉट नं एसपी 2–4, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, रीको, नई मंडी घडसाना, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 17138 वर्गमीटर) 4. दुकान नं. 71 बी ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्री विजयनगर (1800 वर्गफुट) 5. दुकान नं. 17 ए ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर (क्षेत्रफल 2750 वर्गफुट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज प्रो. 1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल 2. श्री संजय कुमार 3. श्री सुशील कुमार खेतान 4. श्री हरीओम गुप्ता को दिनांक 04.12.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 5,66,91,000 / – (अखरे रूपये पांच करोड़ छयासठ लाख इक्यानवे हजार) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गारंटर द्वारा अपनी अचल सम्पतियाँ **1. फेक्ट्री स्थित किल्ला नं. 6 से 14, मुरब्बा नम्बर 60 चक 60 एलएनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर (22250 वर्गमीटर) 2. किल्ला नं. 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 मुरब्बा नं. 17 खसरा नं. 125 / 384, चक 7 जीबी (ए) (नजदीक राधा स्वामी डेरा और 05 की पुली) तहसील श्री विजयनगर (16450 वर्गमीटर) 3. प्लॉट नं एसपी 2–4, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, रीको, नई मंडी घडसाना, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 17138 वर्गमीटर)**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

4. दुकान नं. 71 बी ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्री विजयनगर (1800 वर्गफुट) 5. दुकान नं. 17 ए ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर (क्षेत्रफल 2750 वर्गफुट) में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.01.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.01.2018 को डाक द्वारा भिजवाये गये, **जिसकी प्राप्ति की पुष्टि पोस्ट ऑफिस के Item Delivery Report (On line Track Consignment) से होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने दिनांक 04.02.2018 के दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश एवं इंडियन एक्सप्रैस में अप्रार्थी एवं गारंटर का 13(2) का नोटिस प्रकाशित करवाया है।** नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पतियाँ जो क्रमशः पदमपुर, विजयनगर एवं घडसाना जिला श्रीगंगानगर **में स्थित है,** जो ऋणीगण एवं गारंटर के नाम से है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ति जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वे समस्त उक्त सम्पत्तिया निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

२।।८।।

जिला मजिस्ट्रे

श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.01.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.01.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक का भौतिक कब्जा को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मीरा चौक श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गांरटर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्तियां **1. फेक्ट्री स्थित किल्ला नं. 6 से 14, मुरब्बा नम्बर 60 चक 60 एलएनपी, रिडमलसर तहसील पदमपुर (22250 वर्गमीटर), जो मैसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज –प्रो. 1. अशोक कुमार अग्रवाल 2. संजय कुमार 3. सुशील कुमार खेतान 4. हरीओम गुप्ता के नाम है, 2. किल्ला नं. 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 मुरब्बा नं. 17 खसरा नं. 125/384, चक 7 जीबी(ए) (नजदीक राधा स्वामी डेरा और 05 की पुली) तहसील श्री विजयनगर (16450 वर्गमीटर) जो श्रीमती कृष्णा देवी अग्रवाल के नाम से है 3. प्लॉट नं एसपी 2–4, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, रीको, नई मंडी घडसाना, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 17138 वर्गमीटर) जो मैसर्स संजय इंडस्ट्रीज–प्रो. संजय कुमार अग्रवाल 2. श्रीमति पुष्पा देवी 3. श्रीमति ललिता देवी 4. श्रीमति शारदा देवी 5. श्रीमति कृष्णा देवी अग्रवाल के नाम से है, 4. दुकान नं. 71 बी ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्री विजयनगर (1800 वर्गफुट) जो मैसर्स सुशील कुमार रवि कान्त –प्रो. श्री सुशील कुमार के नाम से है,**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

5. दुकान नं. 17 ए ब्लॉक, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर (क्षेत्रफल 2750 वर्गफुट) जो मैसर्स संजय कुमार राज कुमार–प्रो. संजय कुमार अग्रवाल के नाम से है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना।

(ज्ञानाराम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर